रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 1987/आश्विन 2, 1909
No. 12] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 1987/ASVINA 2, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1987

का. नि. आ. 17(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 7-अ, तारीख 5 मार्च, 1987 द्वारा छावनी बोर्ड खासयोल के गठन को परिवर्तित कर दिया था;

और यह कि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि खासयोल छावनी के प्रशासन में लिए उक्त बोर्ड के कार्यकाल को बढ़ाना वांछनीय है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (4) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त परिवर्तित

बोर्ड के कार्यकाल को 31 दिसम्बर, 1987 तक, अथवा उक्त अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत नए बोर्ड के गठन तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाती है।

[फा.सं. 29/39/सी/भू.व.छा./85/3758/रक्षा(क्यू एंड सी)/87]

धीरेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 24th September, 1987

S.R.O. 17(E).—Whereas the Central Government, by the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. SRO 7-E dated the 5th March, 1987 had varied the constitution of the Cantonment Board, Khasyol.

And whereas the Central Government is satisfied that for the administration of the Cantonment, Khasyol, it is desirable to extend the term of office of the said varied Board.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (4) of section 14 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby extends the terms of office of the said varied Board upto 31st December, 1987 or till a new Board is constituted under section 13 of the said Act, whichever is earlier.

[File No. 29|39|C L&C|85|3758|D(Q&C)|87]

DHIRENDRA SINGH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987